जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीकर

जिला एवं सेशन न्यायालय परिसर, सीकर
(Phone : 01572-294048 Help Line : 8306002137)
Email : dlsa32sikar@gmail.com, legalaidsikar@gmail.com

क्रमांक : 29 दिनांक : 06/01/2026

—:: कार्यालय आदेश ::—

माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर द्वारा पीएलवी के कुशल और सुनियोजित उपयोग के लिए दिनांक 29.11.2025 को जारी दिशा–निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीकर तथा तालुका विधिक सेवा समितियों हेतु वर्ष 2025 हेतु गठित पीएलवी पैनल में से वे पीएलवी जिन्होंने वर्ष 2025 में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/तालुका विधिक सेवा समिति द्वारा सौंपे गये समस्त कार्यों को समय पर पूर्ण किया एवं वर्ष 2025 में पूर्ण रूप से सक्रिय रहे; ऐसे पीएलवी की छंटनी कार्यालय द्वारा की गई है तथा छंटनी पश्चात अधोलिखित सारणी में अंकित पीएलवी की कार्यावधि दिनांक 31.01.2026 तक बढ़ायी जाती है। दिनांक 31.01.2026 तक अभिवृद्धित पीएलवी पैनल में पीएलवी पूर्णतः तदर्थ आधार पर संयोजित किया जाते है। इस संयोजन से किसी प्रकार की कोई नियुक्ति का आधार सृजित नहीं माना जावेगा।

क्र.स.	सक्रिय पीएलवी का नाम	पिता का नाम
	सीकर मुख्यालय	
1.	श्री गिरिराज शर्मा	मोहनलाल शर्मा
2.	श्री उमेश कुमार माथुर	श्री बाबुलाल माथुर
3.	श्रीमती सुनिता	श्री महेश कुमार
4.	श्री ओमप्रकाश पुरोहित	श्री मोहनलाल पुरोहित
5.	श्री चेतन मनोहर	श्री पूर्णमल
6.	सुश्री सुमन कुमारी बरवड़	श्री ख्यालीराम
7.	श्री संदीप	श्री होशियार सिंह
8.	श्री अरविन्द कुमार कुमावत	श्री विनोद कुमार कुमावत
	तालुका विधिक सेवा समिति, फतेहपुर	
1.	श्री भविष्य स्वामी	श्री निरंजन लाल स्वामी
2.	सुश्री अमीषा प्रजापत	श्री प्रेमकुमार प्रजापत
	तालुका विधिक सेवा समिति, दांतारामगढ़	
1.	श्री संतोष कुमार धायल	श्री बोदूराम धायल
2.	श्री मुकेश कुमार सैनी	श्री सोहनलाल सैनी
3.	श्री झाबरमल सेवदा	श्री धूड़ाराम
	तालुका विधिक सेवा समिति, श्रीमाधोपुर	
1.	श्री राकेश कुमार सैनी	श्री बीरबल सैनी
2.	श्री सुभाष कुमार मीणा	श्री लालचंद मीणा
	तालुका विधिक सेवा समिति, नीमकाथाना	
1.	श्री राजेन्द्र प्रसाद सैनी	श्री बचन लाल सैनी
2.	श्री चन्दन करोटवान	श्री सुरेश करोटवान
	तालुका विधिक सेवा समिति, लक्ष्मणगढ़	
1.	श्री मामचंद	श्री सुखदेवाराम

तालुका विधिक सेवा समिति, रींगस		
1.	श्री रविकुमार वर्मा	श्री शांति स्वरूप
2.	श्री विकेश शर्मा	श्री महेश चन्द्र
3.	श्री कमलकांत मिश्रा	श्री नाथूलाल मिश्रा

नोटः–

1. पीएलवी के पैनल गठन से संबंधित इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी सभी आदेश इस आदेश के लागू होने के साथ ही स्वतः निरस्त हो जाएंगे।

2. यह पैनल दिनांक 31.01.2026 तक क्रियाशील रहेगा परन्तु उक्त पैनल की कालावधि दिनांक 31.01.2023 के पश्चात् नियमानुसार बढ़ाई जा सकेगी। पैरा लीगल वॉलेन्टीयर्स को निम्नलिखित परिस्थितियों में अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उपयुक्त जाँच के पश्चात मध्यावधि में भी हटाया जा सकेगा–

(क) विधिक सेवा योजनाओं के क्रियान्वयन में सहयोग नहीं देना तथा रूची नहीं रखना।

(ख) दिवालिया घोषित हो जाना।

(ग) किसी अपराध का अभियुक्त होना।

(घ) अधिकार मित्र (पैरा लीगल वॉलेन्टीयर) के रूप में कार्य करने के लिए शारीरिक या मानसिक रूप से असमर्थ हो जाना।

(ड़) राजनैतिक पार्टीयों से संबंध रखना।

(च) अपनी स्थिति का इस प्रकार दुरूपयोग कर चुका हो कि उसका पैरा लीगल वॉलेन्टीयर के रूप में कार्य करना लोकहित में प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला हों।

(छ) यदि अधिकार मित्र (पैरा लीगल वॉलेन्टीयर) ने अधिवक्ता के रूप में बार में एनरोलमेन्ट करा दिया हो।

3. यह आदेश दिनांक 06.01.2026 से प्रभावी मान जावेगा।

—Sd—
सचिव,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
सीकर

क्रमांक : 39 दिनांक : 06/01/2026

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. श्रीमान् सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।
2. श्रीमान् अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीकर।
3. श्रीमान् जिला कलक्टर, सीकर।
4. अध्यक्ष, तालुका विधिक सेवा समिति नीमकाथाना, श्रीमाधोपुर, फतेहपुर, दांतारामगढ़, लक्ष्मणगढ़, रींगस को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित को सूचित करावें।
5. सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय, सीकर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश का प्रकाशन ई–कोर्ट वेबसाइट पर करावें।
6. संबंधित अधिकार मित्र.....।
7. स्थापना शाखा, कार्यालय हाजा।
8. लेखाशाखा, कार्यालय हाजा।

सचिव,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
सीकर